



आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड IREL (India) Limited

(Formerly Indian Rare Earths Limited)

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

CIN : U15100MH1950GOI008187 Website : www.irel.co.in

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Company

दिनांक: 24.07.2025

प्रशासनिक अनुदेश सं. 1168

विषय: आईआरईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना-2007 (पीआरएमएस) में
समावेशन/पात्रता के संबंध में संशोधन।

पूर्व प्रशासनिक अनुदेश संख्या 1157 दिनांक 02.01.2024 के अधिक्रमण पर, निम्नलिखित पात्रता नीचे
उल्लिखित हैं:

1. बाह्य रोगी उपचार लाभ (ओपीटीबी) पात्रता: प्रतिवर्ष ओपीटीबी पात्रता को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:
 - (i) गैर-कार्यकारी के लिए: दोहरी इकाई वाले परिवार के लिए रु.10000/- और एकल इकाई के लिए रु.5000/- है।
 - (ii) गैर-संघीय पर्यवेक्षकों (एनयूएस) और कार्यकारियों के लिए: संबंधित वेतनमान के पिछले वेतन संशोधन के वेतनमान के न्यूनतम के बराबर राशि, जिसमें एनयूएस/कार्यकारी सेवानिवृत्त होते हैं।

अथवा

एनयूएस/कार्यकारी जिस वेतनमान में सेवानिवृत्त होते हैं, उसके 'प्रथम' वेतन संशोधन के वेतनमान के न्यूनतम के बराबर राशि।

या

रु.15000/- जो भी अधिक हो।

उपरोक्त राशि दोहरी इकाई वाले परिवार के लिए है तथा एकल इकाई वाले परिवार को उपरोक्त राशि का 50% प्राप्त होगा।

योजना में निर्धारित अनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में ओपीटीबी की पात्र राशि जारी की जाएगी।

नोट: चूंकि एनयूएस के लिए प्रथम वेतन संशोधन और पिछला वेतन संशोधन (द्वितीय) उपलब्ध नहीं है, इसलिए अगले वेतन संशोधन तक उनकी पात्रता दोहरी इकाई वाले परिवार के लिए रु.15000/- और एकल इकाई वाले परिवार के लिए रु.7500/- होगी।

2. अस्पताल में भर्ती उपचार लाभ (एचटीबी) पात्रता:

पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों और/या आश्रितों को समूह बीमा चिकित्सा नीति के माध्यम से एचटीबी में समाविष्ट किया जाएगा, जिसका संचालन एक बीमा कंपनी के माध्यम से किया जाएगा।

प्र. के. अनिल

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 1207, वीर सावरकर मार्ग, सिद्धिविनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुंबई - 400 028.

Regd. Office: Plot No.1207, Veer Savarkar Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai - 400 028.

फोन / Tel. : 022 - 2421 1630 / 2438 2042 फैक्स / Fax : 022 - 2422 0236

श्रेणी	आधार नीति पर बीमित राशि (रु.)	टॉप-अप पॉलिसी पर बीमित राशि (रु.)	कुल बीमित राशि (रु.)
I गैर-कार्यकारी	2,25,000/-	2,25,000/-	4,50,000/-
II गैर-संघीय पर्यवेक्षक (एनयूएस)/ एवं उप-अधिकारी (ई-0) से मुख्य प्रबंधक (ई-5)	3,00,000/-	3,00,000/-	6,00,000/-
III उप महाप्रबंधक (ई-6) से मुख्य महाप्रबंधक (ई-8)	5,25,000/-	5,25,000/-	10,50,000/-
IV कार्यात्मक निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7,50,000/-	7,50,000/-	15,00,000/-

3. गंभीर बीमारी देखभाल (सीआईसी):

अधिसूचित गंभीर बीमारियों के लिए, यदि उपचार की लागत उपरोक्त सीमा से अधिक हो जाती है, तो सीमित योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की राशि, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रितों के लिए, उनके संपूर्ण जीवनकाल के लिए रु.50,00,000/- (पचास लाख) की उच्च सीमा तक वहन की जाएगी। बीमा कंपनी से संपर्क करने के बाद गंभीर बीमारियों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा।

गंभीर बीमारियों के उपचार के वर्ष के दौरान, आरंभ में व्यय अप्रयुक्त बीमा राशि से पूरा किया जाएगा तथा शेष राशि गंभीर बीमारियों की सीमा के तहत वहन किए जाएंगे।

4. अन्य संशोधन:

- मोतियाबिंद (प्रत्येक आँख) के लिए समाविष्ट राशि को बढ़ाकर रु.50,000/- कर दिया गया है।
- श्रवण यंत्र/चलने हेतु यंत्र/बैसाखी की लागत को 3 वर्ष में एक बार, प्रति परिवार के लिए रु.20,000 तक बढ़ाया गया है, जो उपचार करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर से प्राप्त पर्ची को प्रस्तुत करने के अधीन है।
- प्रति कॉल एम्बुलेंस शुल्क की सीमा को बढ़ाकर रु.5,000 कर दिया गया है।

राय वगैरह

मुख्य महाप्रबंधक-मा.सं.प्र.
दीप्ती सिंह अग्रवाल

सेवा में,

कंपनी की सभी इकाइयाँ और कॉर्पोरेट कार्यालय
सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल/वेबपेज



आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड IREL (India) Limited

(Formerly Indian Rare Earths Limited)

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

CIN : U15100MH1950GOI008187 Website : www.irel.co.in

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Company

Dt: 24.07.2025

Administrative Instruction No. 1168

**Sub: IREL Post Retirement Medical Scheme-2007(PRMS)
modification w.r.t coverage/entitlements.**

In supersession of Administrative Instruction No.1157 dated 02.01.2024, the following entitlements are hereby mentioned below:

1. Outpatient Treatment Benefits (OPTB) Entitlement: The OPTB entitlement per annum is revised as below:

(i) **For Non-Executives:** Rs.10000/- for double Unit family & Rs.5000/- for Single Unit.

(ii) **For Non-Unionised Supervisors (NUS) & Executives:**

Amount equivalent to the minimum of the pay scale, of the previous pay revision, of the corresponding pay scale from which the NUS/Executives retire.

OR

Amount equivalent to the minimum of the pay scale of the 'first' pay revision of the corresponding pay scale from which the NUS/Executive retires.

OR

Rs. 15000/- whichever is higher.

The above is for double unit family and single unit family will be entitled for 50% of the above.

The entitled OPTB amount will be released at the beginning of each financial year upon receipt of Life Certificate as prescribed in the Scheme.

Note: Since, the first pay revision and the previous pay revision(2nd) are not available for NUS, their entitlement shall be Rs.15000/- for Double Unit family and Rs. 7500/- for Single Unit family, till next revision.

2. Hospitalized Treatment Benefits (HTB) Entitlement:

Eligible retired employees and/or spouse will be covered for HTB through Group Insurance Medical Policy which will be operated through an insurance company.

Category		Sum assured on Base Policy (Rs.)	Sum assured on Top-up Policy (Rs.)	Total sum assured (Rs.)
I	Non-Executives	2,25,000/-	2,25,000/-	4,50,000/-
II	Non-Unionized Supervisors (NUS) & Dy. Officer (E-0) to Chief Manager (E-5)	3,00,000/-	3,00,000/-	6,00,000/-
III	DGM (E-6) to CGM (E-8)	5,25,000/-	5,25,000/-	10,50,000/-
IV	Functional Directors/CMD	7,50,000/-	7,50,000/-	15,00,000/-

3. Critical illness Care (CIC):

For notified critical illness, if the cost of treatment exceeds the above limits, the additional cost incurred will be taken care under the scheme limited to higher cap of Rs. 50,00,000/- (Fifty Lakhs) for the entire lifetime for the retired employee and spouse together. List of critical illness will be notified after engaging the insurance company.

During the year of treatment of critical diseases, the expenses initially will be met out of the unutilized sum insured and the balance shall be met from the cap of critical diseases.

4. Other Modifications:

- Cover for Cataract (each eye) is enhanced to Rs.50000/-
- Cost of hearing aid/walking aid/crutch is enhanced to Rs.20,000/- per family, once in 3 years, subject to production of supporting prescription from the treating specialist Doctor.
- Limit on ambulance charges per call is enhanced to Rs.5000/-.

CGM-HRM

To,
All units of the Company and Corporate Office.
Retired Employees' Portal/ Webpage